



प्रेस नोट 01- दिनांक 01.10.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव

तीन घंटे के अंदर लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा दो लुटेरों को गिरफ्तार किया गया

लुटेरों के कब्जे से लूटे गये 03 हजार रुपये, बैग, लेडीज पर्स व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस लूट की घटना का 03 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 02 लुटेरों को मय लूटे गये माल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 01.10.2024 को प्रार्थी मोहम्मद वासिक पुत्र मो आसिफ नि हाकिम टोला थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर तहरीरी सूचना दी कि कल दिनांक 30.09.2024 को समय करीब रात्रि 10 बजे प्रार्थी अपनी पत्नी समीना फातिमा व बच्ची युमना फातिमा के साथ अपनी स्कूटी रजिस्ट्रेशन सं UP 35 AX 9337 से अपनी ससुराल अनवार नगर से अपने घर हाकिम टोला जा रहा था जैसे ही प्रार्थी कानपुर लखनऊ हाईवे पर नवीन मण्डी के पास पहुंचा ही था तभी पीछे से मोटर साइकिल अपाचे सवार दो अज्ञात व्यक्ति आये और स्कूटी के पीछे बैठी मेरी पत्नी के पास रखे बैग जिसमें 3000/- रुपये व बच्चो के कपड़े व बच्ची की दबा मोनोसेफ व कालपोल तथा पत्नी का हैण्ड बैग को धक्का मुक्की करते हुये छीन कर ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 700/24 धारा 309(6) बीएनएस बनाम पंजीकृत किया गया । थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 घंटे अंदर लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1.आकाश धानुक उर्फ करिया पुत्र सुनील धानुक नि0 अकरमपुर थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष 2.गुड्डू रावत उर्फ बादल पुत्र रामखेलावन नि0 अकरमपुर थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष को कब्जे से लूट के 3000/- रुपये, बैग जिसमें बच्चो के कपड़े व लेडीज पर्स व दवा, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटर साइकिल नं0 UP35U 543 (अपूर्ण नं0) सही नं0 UP78EP 5795 बरामद कर बख्खा खेड़ा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आकाश धानुक उर्फ करिया पुत्र सुनील धानुक नि० अकरमपुर थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष
2. गुड्डू रावत उर्फ बादल पुत्र रामखेलावन नि० अकरमपुर थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी:-

1. लूट के 3000/- रुपये
2. बैग जिसमें बच्चो के कपड़े व लेडीज पर्स व दवा
3. घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटर साइकिल नं० UP35U 543 (अपूर्ण नं०) सही नं० UP78EP 5795

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आकाश उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 79/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अजगैन जनपद उन्नाव
2. मु०अ०सं० 437/22 धारा 379/411 भा०दं०वि० थाना अजगैन जनपद उन्नाव
3. मु०अ०सं० 12/16 धारा 379/411 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
4. मु०अ०सं० 13/16 धारा 379/411 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
5. मु०अ०सं० 30/16 धारा 401/41/411 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
6. मु०अ०सं० 109/16 धारा 201/302/394/411 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
7. मु०अ०सं० 106/23 धारा 379/411 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
8. मु०अ०सं० 120/23 धारा 392/411 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
9. मु०अ०सं० 124/16 धारा 394/411 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
10. मु०अ०सं० 128/23 धारा 379/411 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
11. मु०अ०सं० 170/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
12. मु०अ०सं० 488/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
13. मु०अ०सं० 498/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
14. मु०अ०सं० 537/20 धारा 392/411 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
15. मु०अ०सं० 621/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
16. मु०अ०सं० 777/20 धारा 392/411/413 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
17. मु०अ०सं० 843/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
18. मु०अ०सं० 1227/19 धारा 392/411 भा०दं०वि० थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
19. मु०अ०सं० 56/23 धारा 411/413 भा०दं०वि० व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दही जनपद उन्नाव

आपराधिक इतिसाह अभियुक्त बादल उर्फ गुड्डू उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 159/22 धारा 380/411/457 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
2. मु0अ0सं0 383/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव
3. मु0अ0सं0 601/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 अजीत प्रताप चौकी प्रभारी ललऊखेड़ा थाना कोतवाली उनाव
2. हे0का0 अख्तर अली
3. हेका0 विनीत कुमार
4. का0 रजत
5. का0 निशांक यादव





प्रेस नोट 03- दिनांक 01.10.2024

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव

ट्रकों से डीजल/पेट्रोल चोरी कर बेचने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे, 08 अभियुक्त गिरफ्तार

एक टैंकर करीब 24,000 लीटर डीजल भरा हुआ, 370 लीटर डीजल, 130 लीटर पेट्रोल व डीजल/पेट्रोल निकालने का सामान बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा डीजल/पेट्रोल चोरी कर बेचने वाले 08 अभियुक्तों को एक टैंकर करीब 24,000 लीटर डीजल भरा हुआ, 370 लीटर डीजल, 130 लीटर पेट्रोल व डीजल/पेट्रोल निकालने का सामान बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 30.09.2024 को थाना अचलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि टैंकर सं० UP 40 T 6941 जो माती डिपो कानपुर देहात से डीजल लेकर बहराइच जा रहा था , जिसके चालक द्वारा गहरा स्थित योगेश सिंह पुत्र स्व० शिव प्रताप सिंह निवासी आनन्द नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव के बन्दशुदा पेट्रोल पम्प पर अवैध रूप से टैंकर खड़ा कर उसमें से डीजल चोरी कर कुछ ग्राहकों को बेचा जा रहा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी मय हमराह उ०नि० तफूज अहमद व उ०नि० विजय प्रताप सिंह , का० विमल कुमार , का० संजय भाटी , का० प्रवीण चौरसिया के गहरा स्थित योगेश सिंह के बन्द शुदा पेट्रोल पम्प पर पहुंचकर मौके से एक अदद टैंकर नं० UP 40 T 6941 1. चालक मोहन तिवारी पुत्र रामचन्द्र तिवारी निवासी सोहरयांवा थाना पयागपुर जनपद बहराइच 2. हेल्पर मैनुद्दीन पुत्र गरीबे निवासी कैसरगंज थाना कैसरगंज जनपद बहराइच 3. सुशील कुमार पुत्र बच्चू शंकर 4. अरविन्द शुक्ला पुत्र श्याम औतार निवासीगण ग्राम गड़ारी थाना अचलगंज उन्नाव, 5. अवधेश लोधी पुत्र रामऔतार 6. पवन यादव पुत्र बब्बू निवासीगण ग्राम बन्थर थाना अचलगंज 7. गंगाप्रसाद पुत्र स्व० बंदीप्रसाद निवासी पीपर खेड़ा थाना गंगाघाट उन्नाव , 8. योगेश सिंह चौहान पुत्र स्व० शिव प्रताप सिंह निवासी 10/184 आनन्द नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा मौके पर प्लास्टिक के जरीकेनो में टैंकर से डीजल पाइप के माध्यम से भरा जा रहा था। उक्त लोगो द्वारा अवैध रूप से डीजल का क्रय व विक्रय

किया जाता है। मौके से बरादम टैंकर को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज करते हुये जिला पूर्ति अधिकारी उन्नाव को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया। जिला पूर्ति निरीक्षक सदर श्री शैलेन्द्र सिंह की टीम द्वारा मौके पर आकर अग्रिम कार्यवाही करते हुये रिपोर्ट तैयार कर विधिक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. चालक मोहन तिवारी पुत्र रामचन्द्र तिवारी निवासी सोहरयांवा थाना पयागपुर जनपद बहराइच 2
2. . हेल्पर मैनुद्दीन पुत्र गरीबे निवासी कैसरगंज थाना कैसरगंज जनपद बहराइच
3. सुशील कुमार पुत्र बच्चू शंकर निवासी ग्राम गड़ारी थाना अचलगंज उन्नाव
4. अरविन्द शुक्ला पुत्र श्याम औतार निवासी ग्राम गड़ारी थाना अचलगंज उन्नाव,
5. अवधेश लोधी पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम बन्धर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव
6. पवन यादव पुत्र बब्बू निवासी ग्राम बन्धर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव ,
7. गंगाप्रसाद पुत्र स्व0 बद्रीप्रसाद निवासी पीपर खेड़ा थाना गंगाघाट उन्नाव ,
8. योगेश सिंह चौहान पुत्र स्व0 शिव प्रताप सिंह निवासी 10/184 आनन्द नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव

बरामदगी:-

- एक प्लास्टिक ड्रम में करीब 150 लीटर डीजल व एक प्लास्टिक ड्रम में करीब 70 लीटर डीजल
- एक प्लास्टिक ड्रम में करीब 130 लीटर पेट्रोल
- 30 – 30 लीटर की प्लास्टिक की 3 केनो में लगभग 90 लीटर डीजल
- 20-20 लीटर की प्लास्टिक की 3 केनो में लगभग 60 लीटर डीजल
- 2 प्लास्टिक केनो में करीब 20 लीटर डीजल व 20 -20 लीटर की 4 अदद खाली प्लास्टिक केन
- एक 10 लीटर की प्लास्टिक की खाली केन
- एक अदद 5 लीटर लोहे का नाप मेजर व 03 अदद प्लास्टिक की कीप व एक अदद लोहे की कीप
- एक अदद 5 मीटर का प्लास्टिक का पाइप
- एक अदद टैंकर डीजल UP 40 T 6941 जिसमे रिलायन्स कम्पनी का डिपो से 24000/- लीटर डीजल लेकर चलना बताया गया

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1.प्रभारी निरीक्षक राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी
- 2.उ0नि0 तफूज अहमद
- 3.उ0नि0 विजय प्रताप सिंह
- 4.का0 विमल कुमार
- 5.का0 संजय भाटी
6. का0 प्रवीण चौरसिया



प्रेस नोट 04- दिनांक 01.10.2024

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव

हत्या के आरोपी दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा जमीन के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के आरोपी दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 01.10.2024 को थाना सफीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कटियामऊ में खूंटा गाड़ने को लेकर प्रथम पक्ष रामकुमार पुत्र रामशंकर नाई उम्र करीब 50 वर्ष तथा उसके परिवारीजन व द्वितीय पक्ष 1. रामस्वरूप पुत्र छोटई पासी 2. शिवपाल पुत्र रामस्वरूप मारपीट हुई थी। जिससे रामकुमार उपरोक्त सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गये थे। सूचना पर थाना सफीपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल रामकुमार उपरोक्त को सीएचसी सफीपुर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया था। घटना उपरोक्त के सम्बन्ध में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सफीपुर पर मु0अ0सं0 246/24 धारा 109/115(2)/110/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था, दौराने इलाज जिला अस्पताल में रामकुमार उपरोक्त की मृत्यु हो गयी थी। दौराने विवेचना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है तथा त्वरित कार्यवाही करते हुये उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह पुलिस बल द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. रामस्वरूप पुत्र छोटई उम्र 65 वर्ष 2. शिवपाल पासी पुत्र रामस्वरूप उम्र 32 वर्ष निवासीगण ग्राम कटियामऊ थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को ग्राम एतबारपुर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रामस्वरूप पुत्र छोटई उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम कटियामऊ थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
2. शिवपाल पासी पुत्र रामस्वरूप उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम कटियामऊ थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

बरामदगी:- एक आलाकत्ल लकड़ी का डंडा बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह
का0 राजकुमार भाटी
का0 जितेन्द्र नादर

